तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
10/10/25	पत्रावली आदेश वास्ते पेश हुई। प्रार्थीया अमिता कुमारी की ओर से प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थीया की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि ग्राम दसलाना पटवार हल्का दसलाना तहसील लाडपुरा जिला कोटा में खाता संख्या नया 284 के खसरा नं0 665 की रकबा 0.60 है0 खसरा नं0 666 की रकबा 0.53 है0 कुल 2 किता की रकबा 1.13 है0 स्थित चली आ रही है जिसमें प्रार्थीया का नाम राजस्व जमाबंदी में हिस्सा 1/6 व हिस्सा 2/9 दो बार दर्ज राजस्व रिकॉर्ड चला आ रहा है। राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीया का हिस्सा एक साथ 7/18 दर्ज किया जाना चाहिये था, परंतु सहवन से नामान्तकरण स्वीकृत करते समय राजस्व जमाबंदी में दो बार हिस्सा 1/6 व हिस्सा 2/9 दर्ज कर दिया गया है। उक्त त्रुटि लिपिकीय त्रुटि है। अतः निवेदन है कि ग्राम दसलाना पटवार हल्का दसलाना तहसील लाडपुरा जिला कोटा में खाता संख्या नया 284 के खसरा नं0 665 की रकबा 0.60 है0 खसरा नं0 666 की रकबा 0.53 है0 कुल 2 किता की रकबा 1.13 है0 भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीया का हिस्सा 1/6 व हिस्सा 2/9 के स्थान पर एक साथ ही 7/18 दर्ज कर दुरूस्ती किये जाने के आदेश प्रदान करे। तहसीलदार लाडपुरा द्वारा रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार द्वारा अपनी रिपोर्ट में कथन किया गया कि वर्तमान में ग्राम दसलाना के खाता संख्या 284 खसरा नं0 665, 666 किता 2 कुल रकबा 1.13 है0 में वादी अमिता कुमारी पत्नि महावीर प्रसाद जाति बैरवा का नाम दो बार प्रविष्ठि हो रही है। उक्त खाते में पूर्व में वादी अमिता कुमारी का जमाबंदी खाते में हिस्सा 1/6 में दर्ज था। बाद में नामान्तकरण संख्या 986/19.11.2024 से वादी का नाम हिस्सा 2/9 में मुता0 रजि0 विक्रय पत्र के दोबारा दर्ज हुआ। जिससे कि प्रार्थीया अमिता कुमारी के नाम की दो बार प्रविष्ठि हुई है। खाते में दो बार दर्ज अमिता कुमारी एक ही व्यक्ति है। अतः खाते में दर्ज दोनो प्रविष्ठियों को एक कर शुद्धि किया जाना अपेक्षित है। दौराने बहस प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अपने प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया। पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेज का अवलोकन किया गया। तहसीलदार लाडपुरा द्वारा दोनो प्रविष्ठियों को एक करने की अनुशंषा की है। उक्त त्रुटी ऑनलाईन म्युटेशन के कारण हुई है। जिसकी शुद्धि किया गया उचित है। प्रार्थीया अमिता कुमारी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्टया स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 136 भू राजस्व अधिनियम स्वीकार कर ग्राम दसलाना पटवार हल्का दसलाना तहसील लाडपुरा जिला कोटा में खाता संख्या नया 284 के खसरा नं0 665 की रकबा 0.60 है0 खसरा नं0 666 की रकबा 0.53 है0 कुल 2 किता की रकबा 1.13 है0 में अमिता कुमार पत्नि महावीर प्रसाद की दो बार दर्ज प्रविष्ठियों को एक करने के आदेश दिए जाते है। उक्त निर्णय आज दिनांक 10/10/25 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो। गजेन्द्र सिंह उपखण्ड अधिकारी कोटा